



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243875
CG-DL-E-24022023-243875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]
No. 105]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद् प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2023

फा. सं. 18-26/11703-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, जबकि, रेडियंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पाहुविंड भिखीविंड, पट्टी तरण - तारण 143303, पंजाब, पंजाब राज्य सरकार और पंजाब नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मान्यता प्राप्त है।

वहीं, प्रधान सचिव, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) पंजाब सरकार, कमरा नं. 314, तीसरा तल, छोटा सचिवालय, सेक्टर - 09, चंडीगढ़ - 160009, को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-26/11703-आईएनसी दिनांक 09/10/2019 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 09/10/2019 की एक प्रति रेडियंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पाहुविंड भिखीविंड, पट्टी तरण - तारण 143303, पंजाब को भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि, परिषद् को रेडियंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पंजाब के मामले के संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, संस्था द्वारा आवश्यकता के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

परिषद् ने इस मामले पर समग्र विचार किया है। दिनांक 09/04/2019 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई तरह की कमियां हैं, विशेष रूप से नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित कमियां। ये गंभीर कमियां बताती हैं कि संस्थान नर्सिंग संस्थान चलाने में असमर्थ है।

अब इस प्रकार, भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि 19/06/2021 से रेडियंस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पाहुविंड भिखीविंड, पट्टी तरण - तारण 143303, पंजाब, से एएनएम की मान्यता रखने वाला हर एक व्यक्ति पंजाब राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल पंजाब राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले. कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./632/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2023

F. No. 18-26/11703-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Radiance Institute of Nursing, Pahuwind Bhikhiwind, Patti Tran - Taran 143303, Punjab** is recognized by State Government of Punjab and Punjab Nurses and Registration Council.

Whereas, a notice no. 18-26/11703-INC dated 09/10/2019 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (Health &FW), Government of Punjab, Room No. 314, 03rd Floor, Mini Secretariat, Sector - 09, Chandigarh - 160009, Punjab was issued. Copy of the notice dated 09/10/2019 was also enclosed to **Radiance Institute of Nursing, Pahuwind Bhikhiwind, Patti Tran - Taran 143303, Punjab**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Radiance Institute of Nursing, Punjab**. However no action, as required, has been taken by the institution.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 09/04/2019 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute the institution is unable to run as nursing institution.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 19/06/2021 any person holding a recognized qualification of ANM from **Radiance Institute of Nursing, Pahuwind Bhikhiwind, Patti Tran - Taran 143303, Punjab** shall be entitled to be registered only in the State of **Punjab** subject to orders of the **State government of Punjab**.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./632/2022-23]